न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2003/5052/सवाई माधोपुर.

रामसिंह उर्फ रायसिंह पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम सलोना तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलार्थी/प्रतिवादी

बनाम

1– ठण्डी पुत्र रतनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खांटला सलोना तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1. गंगा बेवा ठण्डी
1/2. लच्छीराम)
1/3. धर्मसिंह) पिसरान ठण्डी
1/4. सुरेश)
1/5. ज्ञान सिंह)
1/6. ममता पुत्री ठण्डी
1/7. मीरा पुत्री ठण्डी

सभी जाति मीणा निवासी ग्राम खाटला सलोना तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

2– राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण/वादी

खण्ड–पीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थिति :–
श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री राजेश गौतम एवं गिरीश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0राज0अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या–2.

निर्णय

दिनांकः 17/02/2025.

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 153/2002, बउनवान रामसिंह उर्फ रायसिंह बनाम ठण्डी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 21–7–2003 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी सं0–1 ठण्डी ने एक राजस्व वाद बाबत् विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी राज्य सरकार के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम थली तहसील गंगापुरसिटी स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 95 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व खसरा संख्या 96 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, जिनके नवीन खसरा नंबर 273 रकबा 0.66 एयर उसकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है, जिससे प्रतिवादी अपीलार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। साबिक खसरा संख्या 96 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वादी को दिनांक 17–4–71 को नियमन की गई, जिसका नामांतकरण दिनांक 9–1–73 को उसके हक में स्वीकृत किया गया एवं खसरा संख्या 95 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा है। मौके पर साबिक खसरा संख्या 95 व 96 का एक चक बनाकर नया खसरा संख्या 273 रकबा 0.66 एयर कायम किया गया, जिस पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अपीलार्थी का इससे कोई संबंध व सरोकार नहीं होते हुए भी बन्दोबस्त के दौरान वादी के साथ प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया, जबकि बन्दोबस्त अधिकारियों को इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार नहीं है। अत प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि खसरा संख्या 273 का खातेदार घोषित करने व प्रतिवादी का नाम रेकार्ड से हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज करने व प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की प्रार्थना की गई।

वाद प्रस्तुत होने के उपरांत विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 ने अपना जवाब दावा पेश किया, जिसे प्रतिवादी द्वारा हर्जा अदा नहीं करने के फलस्वरूप दिनांक 21–03–98 को नहीं पढ़ने बाबत् आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्यों को मध्य नजर रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01–8–2002 द्वारा वादी के पक्ष में डिक्री पारित करते हुए वादी को खसरा नंबर 273 ग्राम थली के सम्पूर्ण रकबे 66 एयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01–08–2002 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी सं0–1 रामसिंह उर्फ रायसिंह ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील संख्या–153/02 प्रस्तुत की गई, जिन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–7–2003 द्वारा अपील अस्वीकार कर खारिज कर दी गई, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी सं0–1 द्वारा वाद जिन कथनों एवं आक्षेपों के आधार पर प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरूद्ध पेश किया है, वे पर्याप्त नहीं होते हुए भी विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध वाद डिक्री करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी सरसरी तौर पर अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के लिए आवश्यक था कि वे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के अभिकथनों के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम करते, किन्तु उन्होंने तनकियात बनाये बगैर ही सरसरी तौर पर अपना निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा हर्जाना अदा नहीं किये जाने के कारण उनके जवाब दावा को रिकार्ड पर नहीं लेने में विधिक त्रुटि की है। वादी अपने वाद में यह साबित करने में असफल रहा है कि साबिक खसरा नंबर 95 एवं 96 से ही नवीन खसरा नंबर 273 कायम किया गया हैं, फिर भी विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। उनका आगे यह भी कथन रहा कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा स्वीकार नहीं किया, जिसके अभाव में इस आशय की कोई तनकी कायम नहीं की गयी है, अन्यथा खसरा नंबर 95 भी अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की संयुक्त खातेदारी बहिस्सा बराबर होना अपीलार्थी सिद्ध करता। अपीलार्थी स्वयं ने अपने आपको खसरा नंबर 96 का खातेदार काश्तकार होना माना है। खसरा नंबर 95 को अपीलार्थी को राजस्व रिकार्ड के आधार पर खातेदार नहीं माना जावे तो भी खसरा नंबर 96 जो विवादित भूमि में सम्मिलित हो गया है, उस हद तक अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। वादी के साथ अपीलार्थी की भूमि में 1/3 हिस्सेदारी होने से अर्थात संयुक्त खातेदारी होने से उसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय आदेश 20 नियम 4(2) सीपीसी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अनुसार नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध साक्ष्यों का बिना विवेचन किये अपने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने पृथक से लिखित बहस प्रस्तुत कर उक्त कथनों की ताईद करते हुए हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1999 पेज 509 एवं 2012(1) आरएलडब्ल्यू पेज 234 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थीगण के पिता ठण्डी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया था। साबिक खसरा नबर 95 व 96 से ही नवीन खसरा नंबर 273 कायम किया गया है। उक्त खसरा नंबर से प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं है, फिर भी त्रुटिवश राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज किया गया। खसरा नंबर 96 दिनांक 17–9–1971 को नियमन किया गया है, जिसका नामांतरकरण भी तस्दीक किया जा चुका है। खसरा नंबर 95 में 1 बीघा 8 बिस्वा में से आधा हिस्सा प्रत्यर्थी सं0 1 का है। इस प्रकार 02 बीघा 7 बिस्वा व 14 बिस्वा का कुल रकबा 76 एयर होता है, जिसमें से प्रत्यर्थी को 66 एयर भूमि ही दी है अर्थात 10 एयर भूमि प्रत्यर्थी के नाम कम दर्ज की गई है। पूर्व में प्रस्तुत दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा को हर्जाना अदा नहीं किये जाने की सूरत में परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई निगरानी पेश नहीं की गई है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की है। इस न्यायालय के समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके माध्यम से उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। आदि कथन करते हुए अंत में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने 2007 आर.आर.डी 587 तथा 1973 आर.आर.डी. पेज 580 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर ध्यान आकृष्ट करवाया गया।

5– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम थली तहसील गंगापुर सिटी स्थित खसरा संख्या 273 रकबा 66 एयर भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी वादी ठण्डी द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01–08–2002 द्वारा वाद डिक्री करते हुए विवादित भूमि का वादी ठंडी पुत्र रतनलाल मीना को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए बहक वादी इन्द्राज दुरूस्ती एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया गया। नकल जमाबंदी प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक खसरा सं 96 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व साबिक नं. 95 का 1/2 हिस्सा 14 बिस्वा कुल 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी भूमि रही, जिसका प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल अनुसार नये नंबर 273 रकबा 66 एयर बना, जबकि साबिक नंबर 95 व 96 में वादी की 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि थी, जिसके वर्तमान रकबे में 76 एयर रकबा होता है, जिसे साबिक के मुकाबले कम रकबा मिलने से इसकी पूर्ति कराने का अधिकारी वादी को पाते हुए वादी का वाद डिक्री किया गया है। इसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम

अपील को भी राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 21–07–2003 द्वारा खारिज करते हुए अपीलार्थी का दावा 18–7–94 खारिज होने से अपीलार्थी के अधिकार विवादित आराजी में साबित नहीं होना मानते हुए योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–08–2002 की पुष्टि की है। इस प्रकार उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समान निष्कर्ष पर आधारित है। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील पेश कर पुनः उन्हीं तथ्यों को उठाया गया है, जिनका निस्तारण वाद एवं प्रथम अपील के दौरान हो चुका है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसा कोई नवीन तथ्य या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। इस संबंध में अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2007 पेज 587, गणेश बनाम राज. राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समान निष्कर्षों पर आधारित अपने निर्णय दिये गये है, वहां द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसी प्रकृति का अन्य अभिमत आरआरडी 1973 पेज 580, श्री नारायण बनाम हनुमान में भी प्रतिपादित किये गये है। चूंकि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी को भू–प्रबंध में कम मिले रकबे की पूर्ति कराने का अधिकारी मानते हुए उसे विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया है, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने करते हुए वादी के कमी रकबे की पूर्ति करने के आदेश को रिकार्ड व साक्ष्य के अनुरूप माना है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचनानुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त समवर्ती निर्णयों के खण्डन में कोई सुदृढ साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

6– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/02/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य